न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : (2637/16) 77/19

–:: प्रार्थी ::–

1. अम्बुजा सीमेन्ट्स लि.
यूनिट–राबड़ियावास
तहसील–जैतारण जिला–पाली
राज. जरिये संयुक्त अध्यक्ष
पॉवर ऑफ अर्टोनी होल्डर
श्री राजेश सी. कोठारी पुत्र
श्री चम्पालाल कोठारी आयु
60 वर्ष हाल
निवासी–अम्बुजा सीमेन्ट
टाउनशिप राबड़ियावास
तहसील–जैतारण जिला–पाली।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. माडुड़ी पत्नी पेमा
2. सतू वल्द पेमा
3. रीधा वल्द पेमा
4. प्रताप वल्द पेमा
5. छोटूराम वल्द पेमाराम
जातियान–कुम्हार,
निवासीगण–राबड़ियावास,
तहसील–जैतारण, जिला–पाली
राज.।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 25/07/2016

उपस्थितः–

1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः 26/02/2020

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि अम्बुजा सीमेन्ट्स लि. यूनिट–राबड़ियावास का एक सीमेंट प्लान्ट अम्बुजा सीमेन्ट्स लि. के नाम से सरहद मौजा–राबड़ियावास तहसील–जैतारण में स्थापित है, कार्यरत है व उत्पादनरत है उक्त अम्बुजा सीमेन्ट्स लि. यूनिट–राबड़ियावास कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत एक पब्लिक लि. कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध है। इस कम्पनी के सभी प्रकार के कार्मिक व प्रशासनिक कार्यो के लिए बतौर संयुक्त अध्यक्ष श्री राजेश सी कोठारी नियुक्त व कार्यरत है। कम्पनी के द्वारा रेल्वे प्रोजेक्ट की भूमि के लिए स्थाई निषेधाज्ञा का यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत है व प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार पत्र प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावें। सरहद मौजा राबड़ियावास पटवार हल्का राबड़ियावास तहसील–जैतारण में वाके आराजी खसरा नंबर 762/5 रकबा 09–05 बीघा किस्म बारानी दोयम वाके है। सायल कम्पनी की उस भूमि पर पर्सनल रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है व गैरसायलगण

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned by CamScanner

संख्या 01 से 05 उक्त भूमि के पड़ौसी खातेदार काश्तकार है सायल कम्पनी एवं गैरसायलगण के मध्य मौके पर भूमि अलग अलग बंटी हुई है जो बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के तहत बंटवाड़ा होकर सायल कम्पनी का अलग खसरा नंबर 762/5 रकबा 09-05 बीघा किस्म बारानी दोयम अलग हुई है एवं गैरसायलगण का 762/2 रकबा 24-04 बीघा दर्ज है व सभी का अलग-अलग खसरा के अनुसार कब्जा व काश्त है व सायल का अपने हिस्से की भूमि के अलग खसरा नंबर 762/5 रकबा 09-05 बीघा किस्म बारानी दोयम पर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है मगर सायल व गैरसायलगण की सम्पूर्ण भूमि के खसरे पास पास दर्ज है व नक्शा टेस में भी सम्पूर्ण भूमि अलग अलग जोत दर्शाई गई है मौके के कब्जे व काश्त सायल एवं गैरसायलगण अपने खसरे अनुसार अलग अलग तरमीम की हुई है। तथा विवादित आराजी को प्रार्थना में आगे विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा कि सम्वत 2069 से 2072 की जमाबन्दी खतौनी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति की प्रार्थना के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। सरहद मौजा राबड़ियावास पटवार हल्का राबड़ियावास तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नंबर 762/5 रकबा 09-05 बीघा किस्म बारानी दोयम वाके है जिसमें सायल कम्पनी सम्पूर्ण भूमि पर पर्सनल रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है व गैरसायलगण संख्या 01 से 05 उक्त भूमि के पड़ौस में खसरा नंबर 762/2 रकबा 24-04 किस्म बारानी दोयम के पड़ौसी खातेदार काश्तकार है। सायल एक कम्पनी का प्रशासनिक अधिकारी है हमेशा कार्य में व्यस्त रहता है गैरसायलगण स्थायी निवासी है जो हमेशा कम्पनी के अधिकारियों व कर्मचारियों को परेशान करते रहते है एवं सायल कम्पनी की सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करने मौके से बेदखल करने की धमकी देते रहते है तथा मौके पर कब्जा करने व कच्चा पक्का निर्माण करने को आमादा है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर एवं मौके पर कब्जा काश्त व दस्तावेजात के आधार पर सायल का विवादित भूमि पर प्रथमदृष्टिया मामला बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में साबित है तथा विवादित भूमि में गैरसायलगण द्वारा सायल को बेदखल करने, भूमि को बेदखल करने, भूमि को खुर्द बुर्द करने व कच्चा पक्का निर्माण कार्य करने की स्थिति में अपूर्णीय क्षति सायला को होने की पूर्ण सम्भावना है इसलिए सायल गैरसायल के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायल के पेश है। सरहद मोजा राबड़िसावास पटवार हल्का राबड़ियावास तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नंबर 762/5 रकबा 09-05 बीघा किस्म बारानी दोयम वाके है। जिसमें सायल कम्पनी सम्पूर्ण भूमि पर पर्सनल रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार कीभूमि पर बतौर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के सायल काबिज है सायल अपने हिस्से की भूमि में काश्त करे या करावे, व काश्त

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned by CamScanner

मुतालिक कुल काम करे या करावे इसमें गैरसायल न तो किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वंय करें, न ही नौकर चाकर हाली एजेन्ट इत्यादि से करावे, ना ही सायल के हिस्से की पर्सनल खसरे संख्या नंबर 762/5 रकबा 09-05 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि में किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य किये जाने एवं किसी प्रकार से रद्दोबदल व परिवर्तन करने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के अन्तिम निर्णय तक गैरसायल को रोका जावें। अन्य कोई सहायता सायल गैरसायल से प्राप्त करने के अधिकारी हो तो दिलवायी जावे। इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 04 व 05 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ।

अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण संख्या 04 व 05 को अनेकानेक अवसर देने के बावजूद भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। उक्त प्रार्थना पत्र का निपटारा हम निम्न बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर करना उचित समझते हैं।

1- **प्रथमदृष्ट्या मामला** :- उपर्युक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की आराजी ग्राम-राबड़ियावास पटवार हल्का-राबड़ियावास तहसील-जैतारण के खसरा संख्या 762/5 रकबा 9-05 बीघा किस्म बारानी दोयम का रिकॉर्डेड काबिज खातेदार है। अप्रार्थीगण संख्या 01-05 उक्त भूमि के पड़ौसी खसरा संख्या 762/2 रकबा 24-04 बीघा आराजी दोयम के खातेदार काश्तकार है। चूंकि कम्पनी (प्रार्थी) और अप्रार्थीगण के मध्य बाई मिण्ट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा होकर तरमीम हो रखी है। इससे प्रथमदृष्ट्या यह मामला सिद्ध होता है कि जब 762/5 खसरे के अप्रार्थीगण खातेदार या सह खातेदार भी नहीं है तथा केवल पड़ौसी खसरे के खातेदार होने के नाते प्रथमदृष्टतया मामला सिद्ध नहीं माना जा सकता है। साथ ही प्रार्थी ने यह भी नहीं बताया है कि उसके पड़ौसी खातेदारों ने अब तक क्या कच्चा-पक्का निर्माण कार्य किया है और यदि किया है तो किस प्रकार का किया है। अतः इस स्थिति में प्रथमदृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2- **सुविधा का संतुलन** :-उपर्युक्त बिन्दू संख्या 01 जो कि वादी/प्रार्थी के विरूद्ध स्थापित हो चुका है। साथ ही प्रार्थी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि कौन-कौनसी सुविधाओं का संतुलन उसके पक्ष में है। अतः यह बिन्दु भी विरूद्ध वादी/प्रार्थी स्थापित होता है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned by CamScanner

3–अपूरणीय क्षतिः– बिन्दु संख्या 01 व 02 प्रार्थी/वादी के विरूद्व साबित हो चुके हैं। साथ ही प्रार्थी और अप्रार्थीगण अलग–अलग आराजी के खातेदार काश्तकार है जिससे यह प्रतीत होता है कि अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी वादी/प्रार्थी के विरूद्व साबित होता है।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि वादी/प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथमदृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति बखूबी साबित नहीं होने के कारण अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार/खारिज़ किया जाना हम विधिसंगत समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भलीभांती साबित नही होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज़ किया जाता है। पत्रावली इसी कद्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,जैतारण
जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 26/02/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,जैतारण
जिला–पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2020.02.28 13:36:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: